न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 48/2021

GCMS NO. : 2021/116

–:: प्रार्थीगण ::–

1. झमकुदेवी उर्फ झमकुड़ी पुत्री पूनाराम
2. भंवरीदेवी पुत्री पूनाराम फौत के का.मु.
   2/1. गीतादेवी पुत्री भंवरीदेवी
   2/2. इन्द्रादेवी पुत्री भंवरीदेवी
   2/3. गोगादेवी पुत्री भंवरीदेवी
   2/4. करमादेवी पुत्री भंवरीदेवी
   2/5. उगमादेवी पुत्री भंवरीदेवी
   2/6. ढगलाराम पुत्र भंवरीदेवी
   2/7. बलदेव पुत्र भंवरीदेवी

   सभी जातियान जाट निवासीगण अमरपुरा तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. जड़ावली पत्नी दानाराम
2. मंगलाराम पुत्र पूनाराम
   जातियान जाट निवासीगण अमरपुरा तहसील जैतारण जिला पाली।
3. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 29/09/2021

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

–:: निर्णय :– दिनॉक: 12/04/2023

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 सभी पूनाराम पुत्र हेमाराम जी जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान के पुत्र, पुत्रीयां एवं वंशज है। जिनकी वंश वंशावली प्रार्थना–पत्र में अंकित है। राजस्व मौजा अमरपुरा, पटवार हल्का–राबड़ियावास, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की पैतृक–पुश्तैनी शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 114 रकबा 3.4398 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 116 रकबा [illegible]067 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उपरोक्त व[illegible] भूमि में प्रार्थीगण के पिता व पूर्वज पूनाराम पुत्र हेमाराम [illegible] तथा [illegible]/2 वां हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:02 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज0

भीकाराम पुत्र हेमाराम जी का है, भीकाराम का देहान्त हो चुका है उनका वारिस गुदड़राम है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 19 रकबा 2.5090 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.5018 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 रकबा 3.1323 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 54 रकबा 0.7932 हैक्टयर सभी किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में प्रार्थीगण के पिता व पूर्वज पूनाराम पुत्र हेमाराम जी का 1/8 वां हिस्सा है तथा शेष 1/8 वां हिस्सा भीकाराम पुत्र हेमाराम जी का है, भीकाराम का देहान्त हो चुका है उनका वारिस गुदड़राम है। इस प्रकार से उपरोक्त वर्णित अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 सभी पूनाराम पुत्र हेमाराम के पुत्र, पुत्रीयां एवं वारिसान है तथा उक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 एवं अन्य हिस्सेदारों की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। जिस पर इसी अनुसार पूनाराम जी के वारिसान काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। इस प्रकार से उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर की भूमि सायलान की पैतृक व पुश्तैनी है जिसकी चालू जमाबन्दी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। विवादित भूमि पर वक्त सेटलमेन्ट के समय काबिज खातेदार काश्तकार सायलान के दादा व पूर्वज हेमाराम जी थे, हेमारामजी का देहान्त होने पर उक्त वादग्रस्त भूमि हेमाराम जी के विधिक वारिसान पूनाराम, भीकाराम पिसरान हेमाराम जी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई थी। इस प्रकार से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार हिस्सा सायलान के पिता व पूर्वज पूनाराम पुत्र हेमाराम का है तथा शेष हिस्सा सहहिस्सेदार गुदड़राम पुत्र भीकाराम एवं अन्य का राजस्व रेकर्ड में दर्ज अनुसार है। उक्त भूमि सायलान की पैतृक व पुश्तैनी है। जिसके दस्तावेजी सबूत के रूप में चौसाला जमाबन्दी संवत् 2018 से 2021, 2022 से 2025, 2026 से 2029, 2030 से 2033, 2038 से 2041, 2043 से 2046, 2047 से 2050 की चौसाला इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। पूनाराम जी का देहान्त होने पर तत्कालीन हल्का पटवारी ने प्रार्थीगण के पिता व पूर्वज पूनाराम जी के सभी विधिक वारिसान की जांच किये बिना ही पुनाराम जी के दो पुत्र मंगलाराम, दानाराम पिसरान पूनाराम जी के नाम का फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 217 भरते हुये स्वीकृत करवा लिया जो कतई गलत व फर्जी है। वास्तविकता में पूनाराम पुत्र हेमाराम जी के दो जायन्दा पुत्रो के अलावा दो जायन्दा पुत्रीया क्रमशः भंवरीदेवी व झमकुदेवी भी है जो पूनाराम जी के स्वर्गवास के समय उनके सामलाती ही रह रही थी एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की इस वादग्रस्त भूमि का उपयोग-उपभोग कर रही थी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के माफिक भंवरीदेवी व झमकुदेवी अपने पिता पूनाराम जी की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है। जिनमें से पूनाराम जी के देहान्त होने के लगभग 20 वर्ष बाद भंवरीदेवी पुत्री पूनाराम जी का भी स्वर्गवास हो गया है। जिनके प्रार्थीगण संख्या 0[illegible] भंवरीदेवी पुत्री पूनाराम के प्रथम श्रेणी के विधिक उत्तराधिकारी/[illegible] है [illegible] प्रकार से वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 0[illegible] [illegible] परिवार की संयुक्त व सामलाती

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:02 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है। जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा भरा गया नामान्तकरण संख्या 217 ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का राबड़ियावास तहसील जैतारण कतई गलत व कूटरचित दस्तावेज मात्र है। साथ ही ऐसे कूटरचित व फर्जी नामान्तकरण संख्या 217 से सायलान को उनके पुश्तैनी जायदाद में प्राप्त हक एवं अधिकार समाप्त नही होते है। न ही सायलान के हक हिस्से की पैतृक पुश्तैनी जायदाद को जरिये रहन, बैचान, वसियत के अन्य हस्तान्तरण करने का अप्रार्थीगण को कोई हक अधिकार ही प्राप्त होता है। तत्पश्चात दानाराम पुत्र पूनाराम का देहान्त हो जाने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 436 के वादग्रस्त भूमि गैरसायल संख्या 01 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई जो कतई गलत प्रविष्टि है। इस प्रकार से नामान्तकरण संख्या 2017 एवं 436 राजस्व ग्राम अमरपुरा, पटवार हल्का राबड़ियावास, तहसील जैतारण को प्रार्थीगण रद्द घोषित करवाने के अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र बाबत घोषणा का पेश है। जिससे सम्बन्धित नामान्तकरण एवं पश्चातवर्ती चौसाला जमाबन्दी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उक्त वादग्रस्त भूमि गैरसायलान की स्वअर्जित जायदाद नही है। तथा गैरसायलान को इस वादग्रस्त भूमि को जरिये रहन, बैचान, वसियत के अन्य हस्तान्तरण करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होने के बावजूद भी तथा मौके पर आज दिन तक प्रार्थीगण का ही सामलाती कब्जा व हक-अधिकार होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 01 ने पूर्व में खसरा नम्बर 76 की भूमि का बैचान अजनबी क्रेता के पक्ष में किया तथा अब शेष बची विवादित आराजी को भी अप्रार्थी संख्या 01 जरिये रहन, बैचान, वसियत के अन्य हस्तान्तरण करने व मौके पर सायलान से लड़ाई-झगड़ा व विवाद करते हुये इस सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि से बेकाबिज करने व इस भूमि को जरिये भू-रूपातंरण के एवं जरिये बैचान के अन्य हस्तांतरण करने पर आमादा है। इस बाबत दिनांक 15.09.2021 को अप्रार्थी संख्या 01 व अन्य ने मौके पर आकर प्रार्थीगण को ऐलानिया कथन किया तुम इस भूमि पर से अपना कब्जा हटा लेना अन्यथा हम तुम्हे लाठी-लकड़ी के बल पर इस वादग्रस्त भूमि से बेकाबिज कर देगें। इस प्रकार से यदि प्रार्थीगण को लाठी लकड़ी के बल पर इस वादग्रस्त भूमि से बेकाबिज कर दिया जाता है तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी। सायलान अपनी पैतृक-पुश्तैनी जायदाद से हमेशा-हमेशा के लिए वंचित हो जायेगे। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में सायलान के पास यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का बहक सायलान विरुद्ध गैरसायलान के सादर प्रस्तुत है। 07- यह है कि यह है समस्त तथ्यों व परिस्थितियों व दस्तावेजात के आधार सायल का प्रथम दृष्टिया बहुत ही मजबूत मामला है कारण कि विवादित भूमि सायल की पैतृक पुश्तैनी व शामलाती भूमि है जिसके प्रत्येक इंच व हिस्से पर सायल को हक अधिकार प्राप्त है। इसलिए सुविधा का [illegible] भी सायल के पक्ष में होने से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना [illegible] सायलान के पेश है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना [illegible] दस्तावेजात के पेश कर निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:02 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय का जारी फरमावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि जो कि राजस्व मौजा अमरपुरा, पटवार हल्का राबड़ियावास, तहसील जैतारण, जिला पाली राजस्थान में स्थित है। इस भूमि में पूनारामजी के हक–हिस्से की भूमि में प्रार्थीगण प्रत्येक की पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त एवं हक–अधिकार की संयुक्त व शामलाती होने से प्रार्थीगण इस भूमि पर बतौर काबिज खातेदार काश्तकार के रूप में इस भूमि पर काबिज होकर काश्त करें या काश्त के मुतालिक कार्य करवावे तो उसमें अप्रार्थीगण स्वयं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि, हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप व दखलंदाजी नहीं करे। साथ ही इस भूमि के बाबत करवाये गये कूटरचित व फर्जी नामान्तकरण संख्या 217 व 436 के आधार पर इस भूमि को जरिये रहन बैचान वसीयत के अन्य हस्तांतरण भी नहीं करे। ऐसा करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक के लिये रोका जावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। बावजूद सम्मन सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस वकील वादीगण राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा ग्राम अमरपुरा, पटवार हल्का राबडियावास में स्थित आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 3.4398 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 116 रकबा 9.9067 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर 19 रकबा 2.5090 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.5018 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 रकबा 3.1323 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 54 रकबा 0.7932 हैक्टयर सभी किस्म बारानी अव्वल सामलाती व पैतृक पुश्तैनी होने के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 92ए प्रस्तुत कर दौराने विचारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख यथा जमाबंदी संवत् 2018–2021, 2022–2025, 2026–2029, 2030–2033, 2034–2037, 2043–2046 में पूना भीका पि0 हेमा का इन्द्राज पाया गया तथा जमाबंदी संवत् 2047–2050 में नामान्तरकरण संख्या 217 के नोट [illegible]मान्तरकरण पंजिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तत[illegible] [illegible] होने पर उत्तराधिकारी मंगलाराम व दानाराम [illegible] विरासत का नामान्तरकरण भरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:02 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

गया। इसी प्रकार जमाबन्दी संवत् 2063–2066 एवं नामांतरकरण पंजिका क्रमांक 436 के अनुसार दानाराम पुत्र पूनाराम के देहान्त के बाद विरासत से जडावली पत्नी दानाराम के नाम का नामान्तरकरण भरा गया। प्रार्थीगण द्वारा स्वयं को तत्कालीन खातेदार पूनाराम की जायंदा पुत्री होने के कथन किये है। उक्त तथ्यों का गैरसायलान द्वारा खण्डन भी नही किया गया है तथा दस्तावेजों से स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी है। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विधि के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार पिता के निर्वसीयत फौत होने पर सभी वारिसानों का उसकी संपत्ति में समान हक–अधिकार निहित होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण द्वारा वादपत्र में वर्णित हक–हिस्से तक उसके पक्ष में साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** चुंकि प्रथम बिंदू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुआ है। साथ ही पैतृक आराजी में समस्त वारिसानों का अपने हिस्से तक सुविधा का संतुलन निहित होता है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को स्वयं एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त की भूमि बताया गया है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण द्वारा वादपत्र में वर्णित हक–हिस्से तक उसके पक्ष में साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** चूंकि प्रथम दोनों बिंदू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए है। साथ ही, वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज है अतः उक्त आराजी के हस्तांतरण, बेचान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा होता है तो प्रकरण में अनावश्यक जटिलता बढ़ेगी व प्रार्थीगण को सुगम न्याय निर्णयन में अत्यधिक विलंब कारित होगा। जिससे प्रार्थीगण/वादीगण को वादपत्र में वर्णित अपने हिस्से के संबंध में अपूरणीय क्षति कारित होने की पूर्ण संभावना है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के हक–हिस्से तक उसके पक्ष में साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हम अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रश्नगत आराजी में प्रार्थीगण/वादीगण के वादपत्र में वर्णित हक–हिस्से का रहन, बेचान व हस्तांतरण न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित एवं विधिसंगत समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाकर <u>गैरसायल संख्या 1 व 2</u> को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद सरहद मौजा अमरपुरा, [illegible] हल्का राबडियावास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बलाडा तहसील [illegible] नम्बर 114 रकबा 3.4398 हैक्टेयर किस्म बारानी [illegible] 6 रकबा 9.9067 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:02 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर 19 रकबा 2.5090 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.5018 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 24 रकबा 3.1323 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 54 रकबा 0.7932 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल भूमि में प्रार्थीगण के हक–हिस्से का रहन, बेचान व हस्तांतरण न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 12/04/2023 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:02 IST
Reason: SelfAttested